UPBL010031162026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1358/2026

पवन खरवार प्रति राज्य

मु0 अ 0 सं0-98/2026

धारा-303(2),317(4),3(5) बी0 एन 0 एस 0

थाना-नगरा, जनपद-बलिया।

दिनांक 15.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त पवन खरवार पुत्र सुरेश खरवार, साकिन-मेउली, थाना-पकड़ी, जिला-बलिया की ओर से मुकदमा अपराध सं0-98/2026, अंतर्गत धारा-303(2),317(4),3(5) बी0 एन 0 एस 0, थाना-नगरा, जनपद- बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता सुरेश खरवार द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन मे शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शहाबुद्दीन पुत्र नबी अहमद ग्राम व पो०-नगरा, थाना-नगरा, जिला बलिया का निवासी है । वादी का घर नगरा बाजार में बेल्थरा रोड में यूनियन बैंक के बगल में स्थित है । दिनांक 25.04.2026 को शाम 06 बजे के करीब अपने घर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर 2012 मॉडल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर-यू०पी० 60 एस 4565 है, जिसको बाहर खड़ा करके अपने घर में अन्दर गया और पुनः जब बाहर निकला तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी । आस-पास बहुत खोजा लेकिन नही मिली जिसको अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया । वादी के प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना नगरा में अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है । मामला विवेचनाधीन है ।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध लिखायी गयी है । घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है । उपरोक्त अपराध में आवेदक के पास से तथाकथित घटना से संबंधित किसी प्रकार की अवांछनीय वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है । तथाकथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी के समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के अनुदेशो व निर्देशो का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना नगरा की पुलिस अ०सं०-114/2026 के मुकदमे में गलत ढंग से गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करके आवेदक को जिला कारागार में निरूद्ध कर दिया गया था । दिनांक 09.06.2026 को जेल से तलब कर उक्त मुकदमे में रिमाण्ड लिया गया तदोपरान्त से आवेदक इस मुकदमे में जिला कारागार में निरूद्ध है । आवेदक को दिनांक 27.05.2026 को घर से पकड़ कर दिनांक 31.05.2026 को अ०सं०-114/26 में गलत ढंग से कारगुजारी प्रस्तुत करने हेतु चालान किया गया है । अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने इस आशय का तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का एक गिरोह है जो मोटरसाइकिलों की चोरी करता है । प्रार्थी/अभियुक्त की संयुक्त गिरफ्तारी से छः मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है । प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है । उक्त आधारों पर जमानत

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.15 18:47:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7- पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं इस स्तर पर केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 25.04.2026 को वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया था। दौरान विवेचना दिनांक 31.05.2026 को पुलिस कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार किए जाने पर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल सं०- यू०पी० 60 ए एल 6238 बरामद हुई एवं उनके द्वारा अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण की निशानदेही पर अन्य चार मोटरसाइकिल यू०पी० 60 एक्स 4463 वाहन स्वामी का नाम रामसहाय यादव पुत्र स्व० वासुदेव यादव, मोटरसाइकिल सं०- यू०पी०-60 ए पी 9634 वाहन स्वामी का नाम विनोद चौहान, वाहन सं०- यू०पी० 60 जेड 0883 वाहन स्वामी का नाम विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र विश्वनाथ पाण्डेय, वाहन सं०-यू०पी० 60 ए पी 4762 वाहन स्वामी का नाम उपेन्द्र सिंह पुत्र राजनाथ सिंह एवं मोटरसाइकिल सं०- यू०पी० 60 एस 4565 के पार्ट बरामद किए जाने का अभियोजन कथानक है ।

8- केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वाहन सं०-60 ए पी 9634 की चोरी के संबंध में वाहन स्वामी विनोद चौहान द्वारा मु०अ०सं०-114/26, वाहन सं०-60 एक्स 4463 के संबंध में वाहन स्वामी राम सहाय द्वारा संबंधित थाना उभाव में, वाहन सं०- यू०पी० 60 जेड 0883 के संबंध में वाहन स्वामी विनोद पाण्डेय द्वारा संबंधित थाना कोतवाली में, वाहन सं०- 60 ए पी 9634 के संबंध में उपेन्द्र सिंह द्वारा संबंधित थाना कोतवाली में मु०अ०सं०-175/26, वाहन सं०- यू०पी० 60 ए एल 6238 के संबंध में महेश कुमार गुप्ता द्वारा संबंधित थाना कोतवाली में मु०अ०सं०-130/26 पंजीकृत कराया गया है । दौरान विवेचना उपरोक्त मोटरसाइकिलों के वाहन स्वामियों से मोटरसाइकिलों की शिनाख्त कराते हुए उनका बयान अंकित किया गया है, जिसमें वाहन स्वामियों द्वारा उपरोक्त मोटरसाइकिलों को अपना होना स्वीकार किया गया है एवं यह भी कथन किया गया है कि उन्होंने अपनी-अपनी मोटरसाइकिलों की चोरी होने के संबंध में संबंधित थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया है । विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का मोटरसाइकिल चोरी करने का एक संगठित गिरोह है, जो बलिया जनपद एवं आस-पास के जनपद से मोटरसाइकिल चोरी करके उनका नम्बर प्लेट एवं चेचिस नम्बर बदल कर फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्र तैयार कर औने-पौने दाम पर बेचने का कार्य करता है । विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त मु०अ०सं०-130/26, धारा 303(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०-114/26, धारा 303(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०-175/26, धारा 303(2) बी०एन०एस० में भी अभियुक्त है । प्रार्थी/अभियुक्त अपराधी प्रवृत्ति का है ।

9- आदेशपत्र के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार सह अभियुक्तगण मुन्ना उर्फ चन्द्रमल व मुन्ना गोड का जमानत प्रार्थनापत्र सं०-1284/26 दिनांक 10.07.2026 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है । जनपद न्यायालय न्यायिक प्रतिष्ठान के सत्र संभाग में किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा इस अपराध सं०-98/26 में अभियुक्तगण मुन्ना उर्फ चन्द्रमल व मुन्ना गोड के अतिरिक्त किसी अन्य अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं हुआ है ।

10- अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त पवन खरवार का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है ।

दिनांकः 15.07.2026
Steno-R.K. Yadav

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया।
ID No. UP 06529